

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(229)परि/नियम/मु/94/ 18926

जयपुर, दिनांक :23.01.2012

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 की उप-धारा (2) और धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। निम्नलिखित प्रारूप नियम उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध हों, 15 दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर यथा-विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप और सुझाव परिवहन आयुक्त और प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर को सम्बोधित किये जाने चाहिएं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (प्रारूप संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. नियम 7.14ख का प्रतिस्थापन.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के विद्यमान नियम 7.14ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“7.14.ख. मंजिली गाड़ी यानों की बैठक क्षमता की सीमा— (1) नगरपालिक/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाले किसी यान से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी यान की न्यूनतम बैठक क्षमता की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी, अर्थात् :-

$$\text{न्यूनतम बैठक क्षमता} = \left\{ \frac{(\text{डब्ल्यू बी.} + \text{आरओ.एच.}) (\text{वी. डब्ल्यू} - 315)}{\text{बी.बी.डी.} \times \text{एस. डब्ल्यू}} \right\} + \text{डी.}$$

स्पष्टीकरण.-


न्यून. बै. क्ष.	=	ड्राइवर सहित न्यूनतम बैठक क्षमता
डब्ल्यू. बी.	=	यान का व्हील बेस, मिलीमीटर में
आर.ओ.एच.	=	पिछला ओवर हेंग, मिलीमीटर में
वी. डब्ल्यू.	=	यान की अन्दरूनी चौड़ाई, मिलीमीटर में
डी.	=	ड्राइवर की सीट = 1
बी.बी.डी.	=	सीटों की पीठ से पीठ की दूरी
	=	साधारण यान की दशा में 700 और
	=	साधारण से भिन्न यान की दशा में 800
एस.डब्ल्यू.	=	सीट की चौड़ाई
	=	साधारण यान की दशा में 400 और
	=	साधारण से भिन्न यान की दशा में 450

टिप्पणी :- गणना के किसी भी स्तर पर आने वाले किसी भिन्न की उपेक्षा की जायेगी :

परन्तु, पृथक प्रवेश और निकास वाले यान की दशा में इस प्रकार प्राप्त होने वाली न्यूनतम संख्या में से दो कम किये जा सकेंगे;

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात राजस्थान मोटर यान (संशोधन), नियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होगी, परन्तु जब बॉडी किसी समय पुनर्निर्मित की जाती है तब उप-नियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे।”


राज्यपाल के आदेश से


(महेन्द्र सोनी)
शासन उप सचिव

क्रमांक: प.7(229)परि/नियम/मु/94/18१२६-३५ जयपुर, दिनांक : 23 .01.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23. 01.2012 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. समस्त प्रादेशिक/अति० प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
7. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
8. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी., परिवहन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

**Government of Rajasthan
Transport Department**

No. F 7(229)/PARI/RULES/HQ/2003/189/6

Jaipur, Dated 23.01.2012

NOTIFICATION

In exercise of power conferred by sub-section (2) of section 65 and section 111 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) the State Government proposes to make the following amendments in the Rajasthan Motor Vehicle Rules, 1990. The following draft rules are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of the person likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said draft would be taken into consideration after the expiry of a period of 15 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period as specified above, shall be considered by the State Government. Such objections and suggestions should be addressed to the Transport Commissioner and Principal Secretary to the Government, Transport Department, Sahkar Marg Jaipur.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Draft Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. Substitution of rule 7.14B.- The existing rule 7.14B of the Rajasthan Motor Vehicles Rules 1990, shall be substituted by the following, namely :-

“7.14B. Limit of seating capacity of stage carriage vehicles. - (1) The minimum seating capacity of a stage carriage vehicle other than a vehicle plying within Municipal/U.I.T. limits shall be computed in accordance with the following formula, namely:-

$$\text{Mini. S.C.} = \left\{ \frac{(\text{WB} + \text{ROH})}{\text{BBD}} \times \frac{(\text{VW} - 315)}{\text{SW}} \right\} + \text{D}$$

Explanation.-


Min. S.C	=	Minimum Seating Capacity including driver
WB	=	Wheel Base of the vehicle in millimeters
ROH	=	Rear over hang in millimeters
VW	=	Inner Width of the Vehicle in millimeters
D	=	Driver's seat = 1
BBD	=	Back to back distance of seats
	=	700 in case of Ordinary Vehicle and
	=	800 in the case of Other than Ordinary Vehicle
SW	=	Seat width
	=	400 in case of Ordinary Vehicle and
	=	450 in case of Other than Ordinary Vehicle

Note:- Any fraction at any level of calculation should be ignored;

Provided that the minimum number so obtained may be reduced by two in the case of vehicle having separate entrance and exit;


(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to a vehicle already registered on the date of coming into force of the Rajasthan Motor Vehicle (Amendment) Rules 2012, provided that when the body is reconstructed at any time, the provisions of sub-rule (1) shall be applicable"

By order of the Governor


(Mahendra Soni)
Dy. Secretary to the
Government of Rajasthan

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 23..01.2012 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Private Secretary to the Transport Minister, Rajasthan Jaipur.
3. Private Secretary to Transport Commissioner cum Principal Secretary Transport, Rajasthan, Jaipur.
4. Law (Codification), Department, Jaipur.
5. All Head Quarter Officers.
6. All Regional/Addl. Regional /District Transport Officers.
7. All Incharge Tax Collection Centers of Transport Department.
8. Shri Sanjay Singhal, ACP, for updating departmental website.
9. Guard File.


Dy. Secretary to the
Government of Rajasthan